UPKJ010061702023

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, कन्नौज।

पीठासीन अधिकारी– नरेन्द्र कुमार झा, उच्चतर न्यायिक सेवा–UP02007

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या 123/74/2023

बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति शिरढीधाम फर्रूखाबाद रोड, छिबरामऊ परगना व तहसील छिबरामऊ जनपद कन्नौज द्वारा डॉक्टर जितेन्द्र सिंह पुत्र बाबू सिंह सचिव/प्रबंधक निवासी–ए/1 डॉक्टर्स कॉलोनी मेडिकल कॉलेज कैम्पस बेवर रोड फतेहगढ़, फर्रूखाबाद।

.....आवेदक।

बनाम

1. जन साधारण
2. डॉक्टर अनीता रंजन पत्नी डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, निवासिनी–ए/1 डॉक्टर्स कॉलोनी मेडिकल कालेज कैम्पस बेबर रोड फतेहगढ़, फर्रूखाबाद–उपसचिव
3. श्रीमती तुहीना भारती पुत्री सुनील कुमार भारती, निवासिनी–जय हिन्द भवन विनोदपुर कटिहार जिला कटिहार (बिहार)–उपाध्यक्ष
4. सुश्री समृद्धि सिंह पुत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह, निवासिनी–ए/1 डॉक्टर्स कॉलोनी मेडिकल कालेज कैम्पस बेबर रोड फतेहगढ़, फर्रूखाबाद–अध्यक्ष
5. कौशलेन्द्र सिंह पुत्र रामऔतार, निवासी–पपियापुर परगना, तहसील व जिला फर्रूखाबाद–कोषाध्यक्ष
6. अतुल कुमार पुत्र हरिनाथ सिंह, निवासी–सिविल लाइन्स फतेहगढ़ परगना व तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद–सदस्य
7. जावेद अली पुत्र मोहम्मद अली, निवासी–1/189 पत्थर मस्जिद चौराहा तलईया लेन फतेहगढ़ परगना व तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद–सदस्य

.....विपक्षीगण।

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3C2 समर्थित शपथ पत्र 4C2 अंतर्गत धारा 5क सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थी डॉक्टर जितेन्द्र सिंह ने इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया है कि आवेदक बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति शिरढीधाम फर्रूखाबाद रोड छिबरामऊ परगना व तहसील छिबरामऊ ज़िला कन्नौज जिसका पंजीयन संख्या 21,1860 के अधीन नवीन प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या 00567/2023–24 के द्वारा दिनांक 16.06.2023 को विधिवत रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र संख्या 207/2013–14 दिनांक 07.06.2013 को दिनांक 07.06.2023 से पाँच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया जिसका नवीनीकरण संख्या R/KNJ/03086 2023–24 पत्रावली संख्या 647810 है, का सचिव प्रबंधक है तथा समित की ओर से संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति का रख रखाव करना संस्था की ओर से विक्रय/क्रय एवं प्रत्येक प्रकार की डी. डी. लिखना तथा संस्था की ओर से समिति को चल अचल सम्पत्ति क्रय करने, विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने राष्ट्रीयकृत व अन्य बैंकों से ऋण व बैंक गारंटी प्राप्त करने समिति के वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति संयुक्त रूप से मूल विक्रय विलेख आदि को बैंक में बंधक कर सकने का एवं बैंक के ऋण अविलेख व पुनर्जीवन पत्र व खातों के संचालन करने का तथा संस्था की चल व अचल सम्पत्ति पर ऋण अथवा बैंक गारंटी के सापेक्ष बन्धक रखने का पूर्ण अधिकार भी निहित होगा, के अनुसार समिति की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत है। समिति के उन्नतोमुख विकास के लिये समिति को अपनी सम्पत्ति जो समिति के द्वारा 17.04.2014 को आराजी खाता संख्या 210 नम्बर

Digitally signed by NARENDRA KUMAR JHA
Date: 2026.05.06 17:06:17 IST
Reason: Document Order
Location: District and Sessions Court, Kannauj.

खसरा 26 रकवा 1.514 हेक्टेयर व नम्बर खसरा 27 रकवा 0.081 हेक्टेयर कुल दो किता नम्बर कुल रकवा 1.595 हेक्टेयर हिस्सा 526/1595 यानी साढ़े छः बीघा ज़मीन यानी 5265 वर्गमीटर स्थित छिबरामऊ देहात परगना व तहसील छिबरामऊ के मालिक बाबू सिंह कृष्णा देवी कॉलेज आफ फार्मेसी द्वारा समिति के पक्ष में अपनी आराजी को जरिए दानपत्र समिति को दी गई, जिसपर दानपत्र प्राप्त होने के बाद दानग्रहिता समिति अध्यासीन चली आती है और सुचारू रूप से सोसाइटी के हित में संस्था द्वारा कार्य कर रही है।

2. सोसाइटी संस्था के हित में प्रश्नगत सम्पत्ति को बंधक रखकर बैंक आफ इण्डिया की शाखा सिगनपुर (बघार) परगना भोजपुर तहसील सदर जिला फर्रूखाबाद व एच.डी.एफ.सी. बैंक की शाखा छिबरामऊ जनपद कन्नौज के पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति को बंधक रखकर आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं। समिति के हित हेतु आर्थिक ऋण प्राप्त करने, नवीन आराजियों को क्रय करने, संस्था के हित में अन्य आराजियों पर निर्माण कार्य कराने एवं संस्था की देनदारी हेतु उपरांकित वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने की याचना की गई है।

3. प्रार्थी जितेन्द्र सिंह की ओर से सूची 8C1 से एक किता सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण पत्र एवं स्मृति पत्र की छाया प्रतियाँ प्रस्तुत की है।

4. उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में विपक्षी संख्या–01 जन साधारण पर जरिए प्रकाशन तामीला कराया गया, लेकिन जन साधारण की ओर से प्रार्थना पत्र के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है तथा विपक्षी संख्या–2 लगायत 7 जो कि बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति शिरढी धाम फर्रूखाबाद रोड छिबरामऊ परगना व तहसील छिबरामऊ ज़िला कन्नौज के उपसचिव/उपाध्यक्ष/अध्यक्ष/सदस्यगण एवं कोषाध्यक्ष बताए गए है, की ओर से अनापत्ति दाखिल की गई है।

5. मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र 3C2 की कण्डिका संख्या 04 में कथन किया है कि सोसाइटी संस्था के हित में प्रश्नगत सम्पत्ति को बन्धक रखकर बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा सिगनपुर (बघार) परगना भोजपुर तहसील सदर ज़िला फर्रुखाबाद व एच.डी.एफ.सी. बैंक की शाखा छिबरामऊ, जनपद कन्नौज के पक्ष में प्रश्नगत सम्पत्ति को बन्धक रखकर आर्थिक सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि प्रार्थना पत्र की अन्तिम कण्डिका में समिति द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को विक्रय करने का अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं चाहित अनुतोष में स्पष्ट विरोधाभास परिलक्षित होता है।

7. प्रार्थी यह स्पष्ट करने में असफल रहा है कि समिति द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को मात्र बन्धक रखकर ऋण प्राप्त करना है अथवा उक्त सम्पत्ति का विक्रय करना है। दोनों प्रकार की राहतों की एक साथ याचना की गई हैं, किन्तु उनके समर्थन में कोई स्पष्ट, पृथक एवं विधिसम्मत आधार अभिलेखों पर उपलब्ध नहीं कराया गया है।

8. इसके अतिरिक्त प्रश्नगत सम्पत्ति समिति को दानपत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है। ऐसी सम्पत्ति के विक्रय की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष ठोस एवं स्पष्ट औचित्य का स्थापित किया जाना आवश्यक है, किन्तु वर्तमान पत्रावली में ऐसा कोई पर्याप्त एवं संतोषजनक आधार परिलक्षित नहीं होता, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रश्नगत सम्पत्ति का विक्रय समिति के हित में अपरिहार्य एवं आवश्यक है।

9. यद्यपि जनसाधारण एवं समिति के अन्य पदाधिकारियों की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है, तथापि मात्र अनापत्ति के आधार पर समिति की अचल सम्पत्ति के विक्रय अथवा बन्धक की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती, जब तक कि प्रार्थना पत्र स्पष्ट, संगत एवं विधिसम्मत आधारों पर आधारित न हो। न्यायालय का यह दायित्व है कि वह समिति की सम्पत्तियों से सम्बन्धित मामलों में संस्था के वास्तविक हित एवं विधिक औचित्य

का परीक्षण करे।

10. वर्तमान प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्पष्ट, विरोधाभासी एवं पर्याप्त विधिक आधारों से रहित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय का मत है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक बाबू सिंह कृष्णा देवी समिति शिरढीधाम फर्रूखाबाद रोड छिबरामऊ परगना व तहसील छिबरामऊ ज़िला कन्नौज द्वारा डॉक्टर जितेन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 3C2 अन्तर्गत धारा–5 क सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 निरस्त किया जाता है।

दिनांक–06.05.2026

(नरेन्द्र कुमार झा)
जनपद न्यायाधीश,
कन्नौज।
J.O.CODE–UP02007